रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 1971/पौष 16, 1892

No. 10] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 1971/PAUSA 16, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 6th January 1971

S.O. 210/15/IDRA 70.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of Order No. S.O. 2062/15/IDRA/70, dated the 2nd June, 1970, issued by the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development), the Central Government hereby appoints Shri R. C. Nigam, Deputy Director, Inspection, Office of the Regional Director, Company Law Board, Bombay, as a member of the body of persons appointed to make investigation into the affairs of M/s. Seksaria Cotton Mills Limited, Bombay (Maharashtra), *vice* Shri S. C. Bafna.

[No. F. 9(10)Lic. Pol./70.]

By Order,

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1971

फा० आ० 210-15/आई० डी० आर० ए/70.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) द्वारा जारी किए गये आदेश सं० सा० आ० 2062/15/आई डी आर ए/70 दिनांक 2 जून, 1970 में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक निदेशक, समवाय विधि बोर्ड, बम्बई, के कार्यालय में, उप-निदेशक निरीक्षण श्री आर० सी० निगम को, श्री एस० सी० कपना के स्थान पर मे० सेक्सरिया काटन मिल्स लि०, बम्बई (महाराष्ट्र) के मामलों की जांच करने हेतु नियुक्त किए गए व्यक्तियों के निकाय के सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

(सं० फा० 9(10)/एल०आई०सी०पोल/70

के० डी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971